# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव ) मध्यप्रदेश
## (कक्ष –स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ,म.प्र.)

**E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

## अन्तर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर की जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से निरस्त

**प्रेस विज्ञप्ति (31/26, दिनांक 30.05.2026)**

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर मन्नीवन्नन मुरूगेसन की प्रत्यर्पण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। माननीय न्यायालय पटियाला हाउस द्वारा आरोपी को थाईलैण्ड के अपराध क्रमांक 345/2555 में ट्राइल हेतु थाईलैण्ड देश भेजे जाने के लिए अपना आदेश पारित किया जा चुका है। वर्तमान में आरोपी मन्नीवन्नन मुरूगेसन तिहाड़ जेल,दिल्ली में निरुद्ध है।

आरोपी मनीवन्नम मुरूगेसन द्वारा थाईलैंड प्रत्यर्पण आदेश और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **विशेष अनुमति याचिका (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 3143-3144/2026)** दायर की थी। उक्त याचिका में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स , मध्यप्रदेश द्वारा केंद्र सरकार को सहयोग करते हुए आरोपी से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20-05-26 को निर्णय पारित करते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाईलैंड के अनुरोध पर प्रत्यर्पण (Extradition) की कार्यवाही प्रचलित होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उक्त याचिका को निरस्त किया गया।

ज्ञातव्य है कि इंटरपोल ने मोस्ट वांटेड अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर मनिवन्नम मुरूगेसन दुर्लभ प्रजाति के कछुए की तस्करी में दुनिया में तीसरे नम्बर पर था। सिंगापुर के रहवासी मुर्गेशन का अवैध व्यापार सिंगापुर सहित थाईलैण्ड, मलेशिया मकाऊ, हांगकांग, चीन और मेडागास्कर मे फैला हैं। विगत 30 जनवरी 2018 को मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने मुर्गेसन को चेन्नई से गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय-सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोपी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सागर ने दोषी मानने हुये 07 वर्ष की सजा सुनाई थी। आरोपी के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सागर में निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई थी, अपील में निर्णय देते हुये, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सागर ने दोषमुक्त किया था परन्तु विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुये माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सागर द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में की। वर्तमान में अपील माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में लंबित है।

अन्तर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क का ध्वस्त करने में मुरूगेसन की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। मुरूगेसन को पिछली बार 27 अगस्त 2012 को करीब 900 दुर्लभ प्रजाति के कछुओ के साथ बैकॉक एयरपोर्ट पर पकडा गया था पर तब वह गैर कानूनी तरीके से छूटने में कामयाब हो गया था। मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, द्वारा इन्टरपोल से मनीवन्नम मुरूगेसन के विरूद्ध थाईलेण्ड व अन्य देशो में अपराधिक रिकार्ड संबंधी जानकारी मांगी गई थी इसी दिशा में इंटरपोल द्वार त्वरित कार्यवाही करते हुये उससे संबंधित समस्त दस्तावेज साझा किये।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल